

## निर्दोषनों का संचालन नियन् १३६। (कानूनी नियम और आदेश)

## प्रस्तुप 2क

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पंज की  
 क्रम सं० 28  
 मध्य 12-40 pm  
 निवि 24.4.2014

३००३००-०२-प्रियम् एवाच्छ  
स्त्री भाषा विविध देश

नामनिर्देशन-पत्र

## लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें।

भाग- 1

(मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अस्थर्थी द्वारा संपर्क किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए

रो अध्यर्थी के रूप में निष्पत्तिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

## अन्यथी का नाम

प्रिता / पाता / पति का नाम

## उसका लाक पता

३४८

संसदीय निर्धारण क्षेत्र में समाविष्ट

विधान सभा निवांपन-सेत्र) की निवाचक नामावती के भाग सं० \_\_\_\_\_ में क्रम सं०

पर प्रविष्ट है।

३०

संस्कृतीय

विराजन थेव मि समाविष्ट

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग रांग

मैं कस सं

पर प्रविष्ट है ।

तारीख

### (प्रिरतावक के हस्ताक्षर)

भाग- 2

(मात्युदा प्राप्त इल द्वारा खडे न किए गए आध्यारी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हग घोषणा करते हैं कि हप लोक सभा निर्वाचन के लिए १५ परिवर्ष क्षमता संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निम्नलिखित को अन्यथा के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

आपार्टमेंट का नाम नर्सिं अपार्टमेंट

पिता/माता/पति का नाम लैगानार रुदीन

उसका डाक पता वडी-५, मोहल्ला- नोटियार, थाना- बंसली नगर ज़िल्हा- १२८ नमा- ०४५२७।  
 उसका नाम ०२ पहिचाम- नम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र \* (में समाविष्ट ०१- नोटिया) विधान  
 सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक वास्तविकी के भाग गंगाया ०७ में क्रम सं० ५४। पर प्रविष्ट है।

हम धोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन दोत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामांकनी में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हन इस चापनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

## प्रस्तावकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्तावक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम संख्या	विधान सभा निर्वाचन घोष घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का नाम राज्यांक	उत्तर नाम में छप संख्या	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	०४-बैतौरी, बिहार सभा	५	२७१	संजय गुमार सिंह	संजय सिंह	२५/५/१५
2	०५-नेतृभालियाल सभा	५	३०७	फिरोज आलम	फिरोज आलम	२५/५/१५
३	०६-बैतौरी, बिहार सभा	५	६९	सोहेमद सौहेमद आलम	सोहेमद सौहेमद आलम	२५/५/१५
४	०६-नेतृभालियाल सभा	५	७०	मातृ शास्त्रि आलम	मातृ शास्त्रि आलम	२५/५/१५
५	०६-बैतौरी, बिहार सभा	५	८३	नंदयाल आलम	नंदयाल आलम	२५/५/१५
६	०६-बैतौरी, बिहार सभा	५	११०	अलियारुल इद्राइ	अलियारुल इद्राइ	२५/५/१५
७	०८-बैतौरी, बिहार सभा	५	५४०	वाज लाल	वाज लाल	२५/५/१५
८	०९-बैतौरी, बिहार सभा	५	५५८	शंभु गुमार शुभा	शंभु गुमार शुभा	२५/५/१५
९	०९-बैतौरी, बिहार सभा	५	५०९	गोपनाथ सत्तीर्णी	Md. Golam Sattirne	२५/५/१५
१०	०९-बैतौरी, बिहार सभा	५	५६६	राजेश गुमार शुभा	राजेश गुमार शुभा	२५/५/१५

कृपया ध्यान दें :— प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन घोष के 10 निर्वाचक घोष देखिए।

### भाग— ३

मैं भाग १/भाग २ (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने ५२ (५२ वर्ष) वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(नीचे स्थ (i) या स्थ (ii) जो लागू न हो उसे काट दें )

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में लागू नहीं दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे जावेटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में लागू नहीं दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन अवैतर्त्र अभ्यर्थी के रूप में तड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) ३२-F/4/1e (ii) ६१-F/5/w (iii) ५६-L/11/F/80X हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम लघुर लालगढ़ी (भाषा वर्ग नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का रथान मरने के लिए चुने जाने के लिए अहिंत हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं \*जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो लागू नहीं  
राज्य के उस राज्य में केल्प्टनी (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित लागू नहीं  
\*\*जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख २५।५।१५

Nafis Ahmad  
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

\* लागू न होने वाले जन्म कट दीवार।

\*\* यदि लागू न हो तो इस पैश को कट दें।

कृपया ध्यान दें :— 'मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल' से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवटन,) आदेश, 1988 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनीतिक दल अभिप्रेत है।

### भाग— 3 (क) (अभ्यर्थी द्वारा मरा जाए)

वया अभ्यर्थी को :—

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम— 1951 (1951 का 40) की धारा ४ की—  
(क) उपचारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए या  
(ख) उपचारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए सिद्धोष ठहराया गया है ; या
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारबास से दफ़ित किया गया है लागू नहीं  
यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :—
- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट, संख्यांक लागू नहीं
- (ii) पुलिस धारा (थाने) लागू नहीं  
जिला (जिले) लागू नहीं  
राज्य लागू नहीं
- (iii) संबंद्ह अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धोष ठहराया गया था लागू नहीं  
लागू नहीं
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) लागू नहीं
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धोष ठहराया था लागू नहीं

- (vi) अधिरोपित दड़ कारावास (कारावासों) की अवधि और या जुमाने (जुमानों) की राशि उपदर्शित करें ?  
नहीं नहीं
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) ..... नहीं नहीं
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : नहीं / नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टतया :- नहीं नहीं
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिसके) समक्ष अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे :- नहीं नहीं
- 
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/ये लंबित है ? नहीं नहीं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो  
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) ..... नहीं नहीं  
(ख) पासित आदेश (आदेशों) की प्रकृति ..... नहीं नहीं

स्थान :- बोतली

तारीख :- २५/५/१५

Nafisa Mamad  
(अध्यर्थी के हस्ताक्षर )

#### भाग— 4

##### (रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन—पत्र की क्रम संख्या— २८

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय मे २५.५.२०१५ (तारीख) को १२५०५५ (बजे) \*अध्यर्थी/क्रमसंखक द्वारा परिदृश्य किया गया ।

तारीख २५.५.२०१५

निवारी (रिटर्निंग आफिसर)  
०२-पान्डुलिङ्गमण्डप नियंत्रण

\*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

#### भाग— 5

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की घारा ३६ के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित लप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख \_\_\_\_\_

(रिटर्निंग आफिसर)



(5) मैं ऐसे किसी लघित नामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सबसे अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिनियम की ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित नामला (नामले) मेरे विरुद्ध लघित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	नामला/प्रथम चूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित पुलिस बाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यारे	नागू नडी
(ख)	सबधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नागू नडी
(ग)	न्यायालय का नाम, नामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नागू नडी
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरक्ति की गई	नागू नडी
(ङ)	वारोंस (तारोंस) जिनको जारोप विरचित किए गए थे	नागू नडी
(च)	वया सभी या कोई कार्यवाही किसी सबसे अधिकारिता वाले न्यायालय द्वास से की गई है/हैं	नागू नडी

(ii) निम्नलिखित नामला(नामले) मेरे विरुद्ध लघित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित नामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, नामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	जी.मर्जी.स्फ.रारी, डि.सम.प्रथमा.लै.जी, मन्त्री.टे मौजिडारी, पुर्वोक्त अपराध संज्ञान संख्या 1143/284 मंस्तान - 2010
(ख)	उन नामलों के ब्यारे, जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	आदर्श चुनाव आयोजन संस्कृता 177, 189
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यारे	नडी १२

मैंने किसी अपराध (अपराधों) लिए प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) ने निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत जाने वाले किसी अपराध(अपराधों) से कोई हस्ताना दिया गया है/नहीं उहसाया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का उहसाया दिया गया है/नहीं दिया गया है.



यदि अभिसम्भवी संयुक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा। नोट

निम्नलिखित मामलों में पुँजे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय हारा कारबाह का दंडादेश दिया गया है।

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	नाहु नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नाहु नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नाहु नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्राप्तिशक्ति	नाहु नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की जास्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे।

टिप्पण 1— संयुक्त स्थापितव की सीमा को उपर्युक्त करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— जमा/विनिधान की दशा में क्रम रां, रकम, जमा की तारीख, त्कीम, बैंक/चंस्पा का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3— सूचीबद्ध कपनियों के राशिय में बधपत्रों/शेयर डिवेचरों का बूत्य स्टॉक एप्सेंचेजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4— यहाँ आकृत का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	प्रसिद्ध संपत्ति	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	165000/-	45000/-	नाहु नहीं	नाहु नहीं	नाहु नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा (जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय	पूँजी अधिकार बैंक खाता-वर्तन रकम राशि 107 939 रुपये 5100/- ग्राम्पंड-स्ट्रिपलेट उन्नति कलाला एक्सप्रेस	प्राप्ती नहीं बैंक खाता सं. 32225656595 राशि 8112-38	नाहु नहीं	नाहु नहीं	नाहु नहीं

32225656595  
राशि 8112-38

Page 3 of 10

Nafisah Namad



	कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	लागू नहीं	लगू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निवियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों/शेयरों तथा शुनिटों में विनिधान के बारे और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लगू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	मुख्य बजार बोर्ड द्वारा मिस्ट्री - राष्ट्री 172500-00 6-प्रतिम राष्ट्रीय बचत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए पाए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(vi)	मोटरवान/वायुयान/याट/पेट (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटरवाही उपर 124-0503 (होलैन्ड) + 20% 48000-00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के बारे)	लागू नहीं	लोन 20%	लोन 20% 60000=12000 वार्षी 10% 5400=5400 10800-00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नोटेंवास्तविक 3000=60 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ix)	समग्र कुल मूल्य	3,93,500-00	117517-00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

#### आ. स्थावर आस्तियों के बारे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक मूमि या मवन के अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्थाय	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि को अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं) क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं	लगू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लगू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		लागू नहीं	लगू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू होती	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू होती
क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियान	लागू नहीं	लागू होती	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेदारण संख्याकांक्षाएँ	लागू नहीं	लागू होती	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	लागू होती	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेदारण संख्याकांक्षाएँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनियान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेदारण संख्याकांक्षाएँ	रजता=6952- दोस्ता = 792 स्कॉर्का = 4 शे.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	100वर्गफुट	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी
निश्चित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	100वर्गफुट	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी
बया विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	हाँ	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी
स्वार्जित संपत्ति की दशा पे क्रय की तारीख	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी
क्रय के सभप्त भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी
विकास समिति आदि के पाठ्यपत्र से भूमि पर कोई विनियोग अनुमानित बालू बाजार नूल्य	10,000/-	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी
(v) अन्य (जैसे कि रसपति में हित)	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी
(vi) पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल बालू बाजार नूल्य	10,000/-	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी	लगूनडी

8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बीच नीचे देता हूँ—

(टिप्पणी: कृपया बैक, सस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के सम्बन्ध रकम के बीचों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आधित-1	आधित-2	आधित-3
(i)	बैक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को बत्तन या शोध्य बैक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, बत्तन की प्रकृति पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों निकाय को छूटन या शोध्य नाम, बकाया रकम, बत्तन की प्रकृति कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग	कैरोल बैक बत्तन दूड़ीगा, बैतिया ठिरमलिंगमुद्दा 49000/-		लगूनडी		
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों निकाय को छूटन या शोध्य नाम, बकाया रकम, बत्तन की प्रकृति कोई अन्य दायित्व			लगूनडी		
	दायित्वों का कुल योग	49000/-		लगूनडी		✓
(ii)	सरकारी शोध्य सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य बल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य विभाग आपूर्ति से बरतने वाले			लगूनडी		

विभाग को शोध्य				
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	जागू नहीं	जागू नहीं	जागू नहीं जागू जागू जागू जागू	
सरकारी परिवहन (यात्रियान और हेतिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	जागू नहीं	जागू नहीं	जागू नहीं जागू नहीं जागू नहीं जागू नहीं	
आय-कर शोध्य	जागू नहीं	जागू नहीं	जागू नहीं	जागू नहीं
धनकर शोध्य	जागू नहीं	जागू नहीं	जागू नहीं	जागू नहीं जागू नहीं
सेवाकर शोध्य	जागू नहीं	जागू नहीं	जागू नहीं	जागू जागू जागू नहीं
नगरपालिका/संघति कर शोध्य	जागू नहीं	जागू नहीं	जागू नहीं जागू नहीं जागू नहीं जागू नहीं	
विक्रयकर शोध्य	जागू नहीं		जागू नहीं जागू नहीं जागू नहीं	
कोई अन्य शोध्य	जागू नहीं		जागू नहीं जागू नहीं जागू नहीं	
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	जागू नहीं	जागू नहीं	जागू नहीं जागू नहीं जागू नहीं	
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके सम्बन्ध यह लंबित है का वर्णन करें।	जागू नहीं	जागू नहीं	जागू नहीं जागू नहीं जागू नहीं	

9) वृत्ति या उपर्यादिका के ब्यारे:

(क) स्वयं संवैटक एवं समाज सेवी

(ख) पति या पत्नी /शिष्टक

10) मेरी शैक्षिक अहंता नीचे दिये अनुसार है:-

भौतिक - बठार/विद्यालय परीक्षा जामिति पठना

वर्ष १९४७

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रक्रम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यारा दें)

### भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यारों का उद्धरण

1	अन्यथीं का नाम	श्री/स्त्री/कुमा० नंजीश अहमद
2	डाक का पूरा पता	लड़िन-०३-गोरुन्डा-नोम्पारा, भाना-बोतेहानगर जिला-पारेश्वर-तम्पारण
3	निवासन स्थान की संख्या और नाम तथा जाज्य	०१-बेलपालिमान-समा-जिला- ०२- पारेश्वर-तम्पारण लोक समा



4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे लॉक्स पामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दड़नीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।  (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [उपर नद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न]	नागृ नहीं				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दफ्तित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सियाए]	३५८				
7	_____ का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।				
	(क) अभ्यर्थी ८२४५६७८५४८	नागृ नहीं				
	(ख) अंतिम पल्ली ८५८९८८०५८	नागृ नहीं				
	(ग) आश्रित	नागृ नहीं				
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)	कुल दर्शित आय				
	दिवरण	स्वयं	परिवार पल्ली	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	१३९३५००=००	११६६१३०८	नागृ नहीं		
ख	स्थावर आस्तियाँ					
	i स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत			नागृ नहीं		
	ii क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संरिप्त लागत (यदि लागू हो) कि			नागृ नहीं		
	iii अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत			नागृ नहीं		

	(क) स्वास्थ्य आस्तिया (कुल मूल्य)  (ख) विरासती आस्तिया (कुल मूल्य)	100000000	भाग नहीं		
9	दायित्व				
i	सरकारी शोध्य (कुल)		भाग नहीं		
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	49000=50	भाग नहीं		
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है				
i	सरकारी शोध्य (कुल)		भाग नहीं		
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)		भाग नहीं		
11	उच्चतम शिक्षिक अहंता: <b>मुक्त - विहारविद्यालय परीक्षा समिति - परन्ता</b> वर्ष - १९४९				
	(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रस्तुत करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)				

### सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय—वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मेरे दिल्ली उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोप्रसिद्धि का मामला या लघित मामले से भिन्न कोई दोप्रसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है,

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग के मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 25/5/14 को सत्यापित किया गया।

*Nafisah Aramad*

अभिसाक्षी

टिप्पणी: 1. शपथपत्र नामांकन काफ़िल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपचाहन तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी: 3. सभी लक्षणों को भरा जाना चाहिए और कोई लक्षण खाली न छोड़ें, यदि किसी गद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: 4. शपथपत्र टकित या सुपाल्यरूप से साफ़—साफ़ लिखित होना चाहिए।



*Nafisah Aramad*

- टिप्पणी:** 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को W.P.(C) संख्या 121-2009 में रिसर्जेंस इलिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं झन्ड के मामले में अन्यर्थीयों द्वारा अपूर्ण शपथ—पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अन्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाव कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अन्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अन्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- टिप्पणी:** 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।  
 “मेरा दूरभाष सम्पर्क सख्ता/सख्तावे हैं/हैं 9931452621  
 मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) हैं... नहीं ॥  
 एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) हैं... नहीं ॥”

